

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 411] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 17, 1983/भाद्र 26, 1905
No. 411] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 17, 1983/BIADRA 26, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1983

का. आ. 668(अ).—केंद्रीय सरकार, खाद्य अपशिष्ट निवारण अधिनियम,
1954 (1954 का 37) की धारा 2 के खंड (4) के अनुसरण में, भारत सरकार के
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं
का. आ. 81(अ), तारीख 8 फरवरी, 1978 का निम्नलिखित और संशोधन करती

है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से मलग्न मारणी-2 में, क्रम सं. 2 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टिया अतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“3. श्री एस. डी. ओक केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, पुणे”

[सं. पी 15014/7/82-पीएच(एफ. एंड एन)पी.एफ.ए.]

एस. वी. सुब्रमण्यन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Deptt. of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 1983

S.O. 668(E).—In pursuance of clause (iv) of section 2 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. S.O. 81(E) dated the 8th February, 1978, namely :—

In Table II, appended to the said notification after serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted :—

“3. Shri S.D. Oak Central Food Laboratory Pune.”

[No. P15014/7/82-PH(F&N)-PFA]

S. V. SUBRAMANIYAN, Jt. Secy.